

प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट
3 days “Investigation of Cases under POCSO Act 2012”
(For Sub-Inspector to Dy. S.P.)
दिनांक 05-01-2022 से 07-01-2022
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 05-01-2022 से 07-01-2022 “Investigation of Cases under POCSO Act 2012” विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यू आरपीएस क्लास रूम में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 36 प्रतिभागियों जिसमें 01 उप अधीक्षक पुलिस 12 पुलिस निरीक्षक 23 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

दिनांक 05-01-2022, 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय दिया गया। तत्पश्चात प्रथम दिन के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र में डॉ. नवीन सीमतवाल, एसएमएस अस्पताल, जयपुर ने मेडिको पोक्सो एक्ट, यौन हिंसा की कानूनी परिभाषा, चोट के बाद का समय, उम्र का अनुमान, मेडिको कानूनी जांच, रिपोर्टिंग आदि पर अपना व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक आरपीए ने पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी एवं किशोर न्याय अधिनियम के बारे में भी बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती कविता शर्मा पुलिस निरीक्षक आरपीए ने पोक्सो अधिनियम, 2012 के संदर्भ में सोशल नेटवर्किंग साइट्स और साइबर पोर्नोग्राफी पर ऑनलाइन अपराध और दुर्व्यवहार पर अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री रमेश चौधरी, पीओ ने किशोर न्याय के प्रावधान (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 और पोक्सो मामलों के साथ संबंधित नियमों पर विस्तार से चर्चा की। तृतीय सत्र में डॉ० राजेश कुमार, सहायक निदेशक, एफ.एस.एल. जयपुर ने पोक्सो अधिनियम और इससे संबंधित मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य का महत्व, SAECK किट का भौतिक साक्ष्य संग्रह में उपयोग विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र में श्री धन्नाराम (सेवानिवृत्त) एडीजे ने पोक्सो अधिनियम के तहत जांच के व्यावहारिक पहलू, पोक्सो अधिनियम के तहत अन्वेषण के व्यावहारिक पहलू, पोक्सो एक्ट के तहत केस चलाने के लिए एसओपी तैयार करना और महिलाओं से संबंधित कानून के कानूनी प्रावधान के नवीनतम संशोधन पर चर्चा करते हुये क्या करे और क्या नहीं करे पर अपना व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम सत्र में 01:15 पीएम पर सहायक कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री अजय पाल लाम्बा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम, आयुक्तालय जयपुर ने पोक्सो विषय पर चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।